न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 307/2019

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1 नर्बदा पत्नि जगदीशलाल जाति मेवाड़ा, तह सोजत, जिला पाली राजस्थान।		1. सूजाराम पुत्र मीनाराम जाति घांची, निवासी जोधपुरिया गेट के बाहर घांचियों की हत्थाई के सामने सोजतसिटी, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान।
		2. भंवरलाल गौद छैलाराम
		3. ढगलाई बेवा कानाराम
		4. धताबाई पत्नि सुगालाराम
		5. गुडिया पुत्री जगदीशलाल
		6. महेन्द्र कुमार पुत्र भोमाराम, जातियान घांची, निवासीगण सोजतसिटी
		7. बुदकी पत्नि बाबुलाल, जाति घांची, निवासी पावटी का बास सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली राज0
		8. बखताराम पुत्र रामाराम, जाति सीरवी, निवासी रामासनी बाला, तह0 सोजत जिला पाली, राजस्थान।
		9. वेनाराम पुत्र रामाराम, जाति सीरवी, निवासी रामासनी बाला, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान
		10. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 18.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामासनी बाला पटवार हल्का रामासनी बाला भू अभिलेख निरीक्षक वृत खारीयानींव तहसील सोजत में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1058/1 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1058/1370 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म जा0अ0, गै0मु0 स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की प्रार्थीया रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की उक्त

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण संख्या 1 सूजाराम की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोजत के खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.1500 हैक्टर की आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोजत के चक प्रथम के खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.1400 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 12 से 13 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रामासनी बाला के खसरा संख्या 1058 रकबा 0.2600 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 सूजाराम एवं अप्रार्थी संख्या 8 बुदकी ने नाजायज तरीके से प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हडप करने की नियत से पूर्व में की गई धोरापाली व माठों को दिनांक 17.06.2018 को बिखेर दिया एवं मनमाने ढंग से तारबंदी करने लगें। जिस पर प्रार्थीया ने पुलिस थाना सोजत सिटी में लिखित रिपोर्ट दी जिस पर अप्रार्थी सूजाराम वगैरा ने थाने मे लिखित रूप से सहमति भी दी कि कृषि भूमि का नाप चौप होने तक तारबंदी नही करेंगे और तारबंदी अधुरी ही गई है और मौके पर सीमा व धोरा पाली बिखेर दिये है तथा प्रार्थीया के साथ उनके कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है एवं प्रार्थीया को काश्त करने से रोका और माठ व सीमा को लेकर विवाद किया। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि का सीमांकरन करवा कर धोरा लगाने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थीगण अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आते हुए जबरदस्ती प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से तारबंदी करने की ऐलानिया धमकी दी। प्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि के सीमांकन के लिए तहसीलदार सोजत के समक्ष सीमांकन का आवेदन दिनांक 19.06.2018 को किया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विवाद होने से सीमांकन नही किया और तहसीलदार सोजत द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही के लिए प्रार्थीया को सूचित करने का आदेश दिनांक 22.06.2018 को जारी कर दिया, जिसकी नकल साथ संलग्न की है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य चूंकि राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शे में तरमीम अनुसार मौके पर नाप चौप नही होने से हमेशा धोरापाली व माठों को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जाकाश्त में दखल अन्दाजी करते रहते हैं और प्रार्थीया की कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से तारबंदी करने पर आमादा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को दिनांक 19.06.2018 को उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा प्रार्थीया को धमकिया दी कि जबरदस्ती तारबंदी कर कृषि भूमि को हड़प कर लेंगे। राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार पत्थरगढी नही होने से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच कृषि भूमि की सीमा (माठ) को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है । इसलिए प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि का सीमांकन पत्थरगढी करवाना चाहती है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार की कोई फसल लगी हुई नही है। प्रार्थीया ने तहसीलदार सोजत के समक्ष सीमांकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2018 को पेश किया था, तब अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश करवाने से साफ इंकार कर दिया एवं मौके पर विवाद पैदा किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विवाद की रिपोर्ट करने से सीमांकन नही किया गया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

एवं तहसीलदार सोजत द्वारा भी सीमांकन नहीं कर सक्षम न्यायालय में पत्थरगढी करने के लिए कार्यवाही करने के लिए सूचित किया । इसलिए प्रार्थीया के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर पत्थरगढी/मुटाम लगवाना चाहती है। प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला में तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि सोजत चक प्रथम मे स्थित होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है।

इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा रामासनी बाला के खसरा संख्या 1058/1 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1058/1370 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म जा0अ0, गै0मु0 आबादी खातेदारी भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,4,6,7,12, व 13 को बावजूद नोटिसेज तामिलि/ सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.09.2018 को की गई। अप्रार्थीगण संख्या 08 की ओर से दिनांक 26.09. 2018 से लगातार अवसर दिये गये । दिनांक 17.09.2019 को अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश हुआ की प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलाने पर भी जबाब पेश करने मे विफल रहने तथा अधिवक्ता अप्रार्थी को बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से जबाब बन्द दिनांक 05.03.2020 को किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 03, 9 से 11 क्रमशः सालगराम, प्रकाशचन्द, सम्पतराज, व शोभादेवी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र प्रकरण में तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के आदेश दिये गये । अप्रार्थी संख्या 1 व 8 की ओर से वकालात नामा व जवाब दावा पेश करने का दिनांक 05.03.2020 से लगातार अवसर दिए जाने पर भी जबाब पेश करने में विफल रहने से, जबाब पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 तहसीदार सोजत फोरमल पक्षकार होने से जबाब पेश नही करना चाहते है अतः पत्रावली में जबाब बन्द किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि तहसीलदार, सोजत के आदेश क्रमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान 2018-19/1699 दिनांक 19.06.2018 की पालना में मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पडौसी खातेदार द्वारा बार-बार मना करने पर भी धोरा व कब्जा बाबत जबरदस्ती तारबंदी की जा रही है तथा उक्त प्रकरण विवादित होना बताया है। चूँकि सीमांकन प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थिया की खातेदारी भूमि का सींमाकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाकर पत्थरगढी करवाई जानी न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थिया पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रामासनी बाला, पटवारी सोजत चक प्रथम एवं अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाकर आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद पत्थरगढी करवाए जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी बाला पटवार हल्का रामासनी बाला तहसील–सोजत में स्थित प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1058/1 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1058/1370 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म जा0अ0, गै0मु0 आबादी का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक सोजत पटवारी रामासनी बाला, सोजत चक प्रथम तथा व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का सीमांकन कर मौके पर नाप चौप करके मुटाम लगवाये जावे तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार, सोजत को इस हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद नियमानुसार प्राप्त कर लेवें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner